

की है कि सरकार को गवर्नर की पावर्ज और स्पीकर की पावर्ज को क्लेरिफाई कर देना चाहिये ताकि भविष्य में पंजाब जैसी स्थिति दूसरे किसी स्थान पर उत्पन्न न हो और देश में प्रजातन्त्र सुरक्षित रह सके। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस दिशा में कोई विचार किया है ?

MR. SPEAKER : I do not think Government can do that business of clarifying the powers of the Speakers. I wonder if Government can do that.

SHRI GOVINDA MENON : Anyhow, that question does not arise from this judgment. What I would say is that the Governor's rulings are final with respect to matters which are under his jurisdiction and the rulings of the Speakers are final with respect to matters which come under them.

श्री हुक्म चंद कछवाय (उज्जैन) : मैं सरकार का ध्यान 18 मार्च को उन घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ जो कि विधान सभा के अन्दर हुई थीं जब कि कुछ पुलिस के अफसर सादी वर्दी में वहाँ घुस गए थे और उन्होंने सदस्यों के साथ मारपीट की थी, धक्का धक्का किया था, हुल्लड़बाजी की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं का होना कहां तक ठीक है और कहां तक सरकार इसको ठीक मानती है ?

SHRI GOVINDA MENON : Sir, I am to be asked about the Supreme Court judgment.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं यह मान कर चलता हूँ कि पंजाब असेम्बली के स्पीकर ने अपनी पावर्ज को एक्सीड किया कुछ मामलों में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके भी फार रीचिंग कंसिक्वेंसिस हैं और इसके इम्पलिकेशंस भी बहुत गहरे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ और वैसा करना ठीक भी नहीं है। उन्होंने एक प्रेक्टिकल कंसिड्रेशन को सामने रखा है। लेकिन एक चीज है। जैसा मधु लिमये जी

ने कहा है कि क्या स्पीकर की रूलिंग फाइनल है, यह एक सवाल है। जैसे इस में यह कहा गया है कि स्पीकर ने एडजर्न कर दिया था हाउस को 18 मार्च को। आया उसका यह रूलिंग वैलिड था या ठीक था या वाइडिंग था या नहीं था ? उसके बाद गवर्नर ने उसको फिर बुलाया था। अब एक तरह से गवर्नर अगर वहाँ के रूल्ज आफ प्रोसीजर को—

MR. SPEAKER : You are discussing the legality of it and all that. I do not think the Minister can answer it.

श्री कंबर लाल गुप्त : मेरा कहना यह है कि इस जजमेंट से गवर्नर को बहुत ज्यादा पावर्ज मिल गई है और एक तरह से इसका मौका मिल गया है कि अगर कोई केन्द्रीय सरकार कल को गवर्नर की इंस्टीट्यूशन को मिसयूज करना चाहे तो वह वैसा भी कर सकती है। इस चीज का खयाल रखते हुए क्या सरकार जो इस जजमेंट की इम्पलिकेशंस हैं उनको ठीक तरह से जांचने के लिये कोई एक्सपर्ट कमेटी विठायेगी जो यह मालूम करे कि इस जजमेंट की बैकग्राउंड में हमारे विधान में क्या तरमीम की जानी चाहिये ?

SHRI GOVINDA MENON : With respect to the Governor's powers all that the Supreme Court judgment has said is that the Governor has got a power to prorogue the House under article 174. The Supreme Court has also said that the Governor can issue an Ordinance under article 213 when the Houses are not in session. These are non-controversial matters and are laid down in the Constitution. I do not think any expert committee is to look into this matter.

12.24 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-SIXTH REPORT

SHRI R. K. KHADILKAR (Khed) : Sir, I beg to present the Thirty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.